राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

E-mail rajssaquality@gmail.com दूरभाष: 0141–2701596,

क्रमांक–रा.स्कूल.शि.प/जय/गुणवत्ता/शाला सिद्धि/2020–21/ 13671 दिनांक 13/8/2020

शाला सिद्धि स्व व बाह्य मूल्यांकन दिशा –निर्देश

सत्र 2020–21

सत्र 2016–17 से सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा), नई दिल्ली द्वारा विकसित राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम ''शाला सिद्धि'' प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम अन्तर्गत शाला सिद्धि वेबपोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसमे स्व मूल्यांकन व बाह्य मूल्यांकन कार्य संबंधित प्रविष्टि ऑनलाइन की जाती है।

वार्षिक कार्ययोजना 2020–21 अनुसार शाला सिद्वि कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत वर्षो की भाँति वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020–21 में शाला सिद्धि वेबपोर्टल पर संस्थाप्रधान द्वारा विद्यालय का स्व मूल्यांकन कर अपने विद्यालय को ग्रेड करना है एवं अपने विद्यालय की विकास योजना का निर्माण कर विद्यालयों के विभिन्न क्षेत्रों (भौतिक, शैक्षिक, सहशैक्षिक, इत्यादि) में आवश्यक सुधार लाना है।

गत वर्ष की भाँति ब्लॉक स्तर पर चयनित राजकीय विद्यालयों का बाह्य मूल्यांकन किया जाना हैं। इस हेतु राज्य स्तर पर आवश्यक कार्ययोजना का निर्माण किया गया है। उक्त कार्ययोजनानुसार परिषद मुख्यालय के नेतृत्व में जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का क्षमता संवर्धन/समझ बनाने हेतु एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाना हैं तथा गत सत्र में ब्लॉक स्तर पर चयनित विद्यालयों के प्रशिक्षित संस्थाप्रधानों (मूल्यांकन अधिकारी) के नेतृत्व में गठित दल द्वारा चयनित राजकीय विद्यालयों का बाह्य मूल्यांकन किया जाना हैं।

✓ राजकीय विद्यालयों के स्व मूल्यांकन कार्य हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है–

नीपा, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार सत्र 2020–21 में यह कार्यक्रम राजकीय विद्यालयों में संचालित होना है। शाला सिद्धि अन्तर्गत स्व मूल्यांकन (2020–21) हेतु निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये–

- **स्व मूल्यांकन एवं डैशबोर्ड पर ऑनलाईन प्रविष्टि कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा), नई दिल्ली से प्राप्त टाइम लाइन अनुसार किया जायेगा।**
- **शाला सिद्धि वेबपोर्टल को shaalasiddhi.niepa.ac.in पर लॉगिन कर कार्यवाही की जानी है।**
- विद्यालय अपने लॉगिन से शाला सिद्धि वेबपोर्टल के डैशबोर्ड पर सूचनाऐं अपलोड करेंगे।
- शाला सिद्धि वेबपोर्टल के तीन भाग हैं –
  - प्रथम भाग विद्यालय प्रोफाईल है, जिसमें विद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं एवं अध्यापकों से संबंधित समस्त जानकारियों को दर्ज किया जाना है।
  - द्वितीय भाग में सात आयाम हैं जिनके 46 मानक निर्धारित है इन मानकों के अनुसार विद्यालय का स्तर व कार्ययोजना की प्राथमिकता स्कूल के द्वारा ऑनलाईन दर्ज करनी है।

- तृतीय भाग में संस्थाप्रधान को अपने विद्यालय का "Mission Statement" लिखना है एवं विद्यालय विकास की योजना बनाकर विद्यालय की परिस्थितियों के अनुसार समय निर्धारित कर उसे शाला सिद्धि वेबपोर्टल पर अपलोड करना है।

- **विद्यालयों द्वारा सम्पूर्ण डेटा फीडिंग के पश्चात "Final Submit" से पहले इसकी एक हार्ड कॉपी अवश्य प्रिन्ट कर ली जाये तथा इन्द्राज की गई सूचना अच्छी तरह से जाँच ली जाये। इसके पश्चात आवश्यक संशोधन (यदि कोई हो) कर इसे Final Submit करें। Final Submit के पश्चात विद्यालयों द्वारा फीड की गई सूचनाओं में कोई परिवर्तन नही किया जा सकेगा।**
- यह ध्यान रहे कि प्रत्येक आयाम में संस्थाप्रधान द्वारा विद्यालय का वास्तविक स्तर ही भरा जाये, इससे स्व मूल्यांकन करने व आगे की कार्ययोजना बनाने में सहायता मिलेगी।
- विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर फीड की गई सूचनाओं से संबंधित सभी दस्तावेज/सामग्री एक फाईल में संधारित करके रखें।
- **शाला सिद्धि अंतर्गत सत्र 2020–21 में स्वमूल्यांकन कार्य पूर्व की भांति केवल शिक्षा विभाग, पंचायती राज एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों द्वारा किया जाना है।**
- यदि वर्तमान सत्र में कोई विद्यालय क्रमोन्नत हो गया है एवं शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो शाला सिद्धि पोर्टल पर केवल प्रदर्शित कक्षाओं की सूचना भरी जाये।
- शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर प्रविष्टि के समय विद्यालयों से पासवर्ड, पिन ओटीपी एवं डेटा अनफ्रीज के समाधान की प्राप्त request को **जिले एवं ब्लॉक पर कार्यरत एमआईएस–इंचार्ज प्रति दिवस request** प्राप्त होते ही **Approve करें।** (जिला एवं ब्लॉक पर समस्त तकनीकी सहयोग क्रमशः जिला–एमआईएस–इंचार्ज एवं ब्लॉक एमआईएस–इंचार्ज द्वारा सम्पादित किये जायेंगे)।

✓ <u>राजकीय विद्यालयों के बाह्य मूल्यांकन कार्य हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है–</u>

वार्षिक कार्ययोजना 2020–21 में एमएचआरडी, नई दिल्ली द्वारा 1/6 राजकीय विद्यालयों का बाह्य मूल्यांकन किया जाना अनुमोदित हुआ हैं। यह कार्यक्रम राजकीय विद्यालयों में संचालित होना है। (सलग्न–Annexure-I)

शाला सिद्धि अन्तर्गत बाह्य मूल्यांकन (2020–21) हेतु निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये–

- <u>दिनांक 31 सितम्बर 2020 तक विद्यालय स्तर से चयनित 1/6 राजकीय विद्यालयों (शिक्षा विभाग, पंचायतीराज एवं केजीबीवी) का बाह्य मूल्यांकन एवं डैशबोर्ड पर आनलाईन प्रविष्टि पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।</u> (सलग्न–Annexure-I)
- राज्य के एक तिहाई का आधा (1/6) राजकीय विद्यालयों का बाह्य मूल्यांकन किया जायेगा।
- जिन विद्यालयों का बाह्य मूल्यांकन किया जाना हैं उसकी सूची परिषद मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
- गत सत्र में जिन विद्यालयों में बाह्य मूल्यांकन किया जा चुका है, वहाँ पुनः बाह्य मूल्यांकन नही किया जाना है।
- बाह्य मूल्यांकन गत सत्र में प्रशिक्षित किये गये पीईईओ/प्रधानाचार्य एवं संस्थाप्रधानों द्वारा किया जायेगा।
- विद्यालयों के शाला सिद्धि बाह्य मूल्यांकन किये जाने के लिये प्रति विद्यालय बाह्य मूल्यांकन अधिकारियों के 3 सदस्यीय जाँच दल का गठन किया जायेगा। प्रत्येक दल में प्रधानाचार्य स्तर का अधिकारी दल प्रमुख होगा एवं उसके सहयोग के लिये 2 अन्य सहयोगी अधिकारी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के संस्था प्रधान होंगे।

- प्रत्येक विद्यालय के शाला सिद्धि बाह्य मूल्यांकन हेतु जाँच दल के दल प्रमुख को 200 रू. एवं प्रति सहयोगी अधिकारी को 150 रू. की दर से मानदेय देय होगा।
- जाँच दल में सम्मिलित अधिकारियों को उनके विद्यालय के अतिरिक्त अन्य चयनित विद्यालयों के शाला सिद्धि बाह्य मूल्यांकन का कार्य आवंटित किया जायेगा।
- जाँच दल में सम्मिलित अधिकारियों को उनके विद्यालय के शाला सिद्धि बाह्य मूल्यांकन का कार्य आवंटित नही किया जायेगा।
- प्रत्येक जाँच दल को अधिकतम 3 चयनित विद्यालयों के शाला सिद्धि बाह्य मूल्यांकन का कार्य आवंटित किया जायेगा।
- बाह्य मूल्यांकन की सूचना नीपा, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप अनुसार भरी जाकर शाला सिद्वि वैबपोर्टल (www.shaalasiddhi.niepa.ac.in) पर अपलोड की जानी हैं।
- बाह्य मूल्यांकन विद्यालयों के संस्थाप्रधानों द्वारा सत्र 2018–19 के स्व मूल्यांकन कार्य का किया जाना है।
- बाह्य मूल्यांकन पूर्ण रूप से स्व मूल्यांकन (2018–19) के दौरान संधारित किये गये दस्तावेजो एवं साक्ष्याधारित किया जाना है।
- बाह्य मूल्यांकन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विद्यालय द्वारा शाला सिद्धि वैब पोर्टल के डैशबोर्ड पर अपलोड की गई स्वं मूल्यांकन की सूचनाओं का अध्ययन कर लिया जावे तथा साथ में हार्ड कॉपी भी ली जावे।
- बाह्य मूल्यांकन हेतु अवलोकित किये जाने वाले विद्यालयों से परस्पर समन्वयन स्थापित कर तिथियों का निर्धारण पूर्व में ही कर लिया जावे।
- बाह्य मूल्यांकन की प्रक्रिया, उदेदश्य एवं तिथि को अवलोकित किये जाने वाले विद्यालयों के संस्थाप्रधानों से पूर्व में साझा की जावे।
- बाह्य मूल्यांकन के दौरान निम्न कार्य सम्पादित किया जावे – विद्यालय स्टॉफ के साथ परिचयात्मक बैठक, स्व मूल्यांकन डैशबोर्ड पर चर्चा, सातो आयामो के अनुसार साक्ष्यों को साझा करना, साक्ष्यानुरूप 46 मानको के अनुसार भरी गई सूचनाओं का आंकलन करना, विद्यालय परिसर का भ्रमण करना, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से वार्ता कर फीडबैक व अन्य साक्ष्य एकत्रित करना, विद्यालय के "School Improvement Plan" की जांच करना, विद्यालय के अच्छे कार्यो एवं आवश्यक सुधार से अवगत कराना, बाह्य मूल्यांकन रिपोर्ट को शाला सिद्वि पोर्टल पर अपलोड करना।

✓ <u>कार्य दायित्व एवं मॉनीटरिंग –</u>

- उपायुक्त–द्वितीय, गुणवत्ता शिक्षा (प्रभारी अधिकारी) के नेतृत्व में समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अति. जिला परियोजना समन्वयक, अति. परियोजना समन्वयक/पीओ (गुणवत्ता प्रभारी), मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रथम एव द्वितीय), जिला एमआईएस इन्चार्ज एवं ब्लॉक एमआईएस इन्चार्ज के क्षमता संवर्धन एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यक्रम वी.सी. के माध्यम से आयोजित किया जायेगा।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा द्वारा ब्लॉक के 1/6 चयनित राजकीय विद्यालयों में शाला सिद्वि बाह्य मूल्यांकन के लिए जाँच दलों के आदेश जारी किये जायेंगे एवं राज्य स्तर से निर्धारित तिथियों में बाह्य मूल्यांकन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा परिषद द्वारा गत सत्र में जिलों को उपलब्ध करवाई गई दिशा–निर्देश, बुकलेट एवं सामग्री ब्लॉक के समस्त राजकीय विद्यालयों की संख्यानुसार ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से समस्त राजकीय विद्यालयों में पहुँच गई हो यह सुनिश्चित करेंगे।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, ब्लॉक के चयनित विद्यालयों में शाला सिद्धि बाह्य मूल्यांकन कार्यक्रम के लिए मूल्यांकन अधिकरियों के मानदेय हेतु परिषद से जारी राशि को ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। व्यय उसी मद में ही किया जावें।
- कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को PMS पोर्टल पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- राशि के उपयोग हेतु योजना के दिशा निर्देश एवं एमएचआरडी की गाईड लाईन की पूर्ण पालना करते हुये चिन्हित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु ACBEO-I सह प्रभारी के रूप में सहयोग प्रदान करेंगे।
- शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर प्रविष्टि के समय विद्यालयों से पासवर्ड, पिन ओटीपी एवं डेटा अनफ्रीज के समाधान की प्राप्त request को जिले एवं ब्लॉक पर कार्यरत एमआईएस–इंचार्ज प्रति दिवस request प्राप्त होते ही Approve करें। (जिला एवं ब्लॉक पर समस्त तकनीकी सहयोग क्रमशः जिला–एमआईएस–इंचार्ज एवं ब्लॉक एमआईएस– इंचार्ज द्वारा सम्पादित किये जायेंगे)।

11/08/2020

(बाबू लाल मीणा)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक–रा.स्कूल.शि.प/जय/गुणवत्ता/शाला सिद्वि/2020–21 1367 दिनांक 13/8/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक, समग्र शिक्षा, समस्त संभाग।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
6. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
8. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
9. कार्यालय प्रति।

11/8/20

अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम